संख्या-1042/2026/372/22-2-2026-17(1034)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 05 अगस्त, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलबाग सिंह उर्फ मिट्ठू पुत्र श्री धीर सिंह, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-7943/प्रो(6)/261/(महिला दिवस-26), दिनांक 05.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलबाग सिंह उर्फ मिट्ठू पुत्र श्री धीर सिंह, जो- लुकमानपुर बछेडा, थाना-बन्डा, जनपद-शाहजहाँपुर का निवासी है। सिद्धदोष बन्दी द्वारा दिनांक 05.08.2003 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 लाख रूपये की फिरौती के लिये सतनाम सिंह (08 वर्ष) नामक लड़के का अपहरण कर लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-790/2003, भा0द0वि0 की धारा-364ए, 368 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1, पीलीभीत के आदेश दिनांक 31.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.08.2022 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी के ऊपर 02 अन्य विचाराधीन वाद क्रमशः (1) अ०सं०-421/2003, धारा-307 आई०पी०सी०, थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत। (2) अ०सं०-422/2003, धारा-25 आर्म्स एक्ट आई०पी०सी०, थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत मे लम्बित है। बन्दी उक्त लम्बित वादों में जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.03.2026 तक अपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 22 दिन एवं सपरिहार 25 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी के ऊपर गम्भीर अन्य वादों के लम्बित होने एवं बन्दी द्वारा 5 लाख रूपये फिरौती के लिये 08 वर्षीय बच्चे का अपहरण किये जाने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अत्तएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022 /1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दिलबाग सिंह उर्फ मिठू पुत्र धीर सिंह की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलबाग सिंह उर्फ मिट्ठू (बन्दी सं0-41997) पुत्र श्री धीर सिंह, निवासी जनपद-शाहजहाँपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1042/2026/372(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।